

अधिसूचना संख्या 187/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी. कॉम)]/एसओ 1974(ई), दिनांक 20-7-2015

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 2835 (ई) दिनांक 19.12.2011 द्वारा, केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 5 पर, "ग्रामीण गांवों के लिए चिकित्सा मोबाइल परियोजना" अधिसूचित की थी। सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से गरीब लड़कियों के लिए छात्रावास आवास और शिक्षा। "विनय विहार एजुकेशन ट्रस्ट, (लोक विद्यालय), वलूकड तालुका-पालिताना), जिला भावनगर राज्य, गुजरात -364270" द्वारा बेरोजगार महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, वित्तीय वर्ष 2014-15 के साथ समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 2.50 करोड़ रुपये के कॉर्पस निधि सहित 6.44 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के 3 वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की और अवधि के लिए निर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की है।

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्रामीण गांवों के लिए योजना या परियोजना "मेडिकल मोबाइल परियोजना" को अधिसूचित करती है। सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से गरीब लड़कियों के लिए छात्रावास आवास और शिक्षा। बेरोजगार महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र", जिसे "विनय विहार एजुकेशन ट्रस्ट, (लोक विद्यालय), वालुकड तालुका-पालिताना), जिला भावनगर राज्य, गुजरात - 364270" द्वारा 2.50 करोड़ रुपये की एक कॉर्पस निधि सहित 6.44 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि यानी 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए चलाया जा रहा है।

■ ■